ज्वैलर्स की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों का नहीं लगा सुराग

शुक्रवार शाम को कमलेश ज्वैलर्स शोरूम पर पांच बदमाशों ने लूट के बाद फायरिंग की थी

भिवाडी, (निसं)। ज्वैलर्स की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों का शनिवार शाम तक कोई सुराग नहीं लगा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार सुबह से भिवाड़ी के मुख्य बाजार घटना के विरोध में बंद रहे। व्यापारी सोना-तावडू हाईवे के बीच में बैठे। इस दौरान जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने उनसे समझाईश की। हाईवे से निकलने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से डायवर्ट किया गया है।

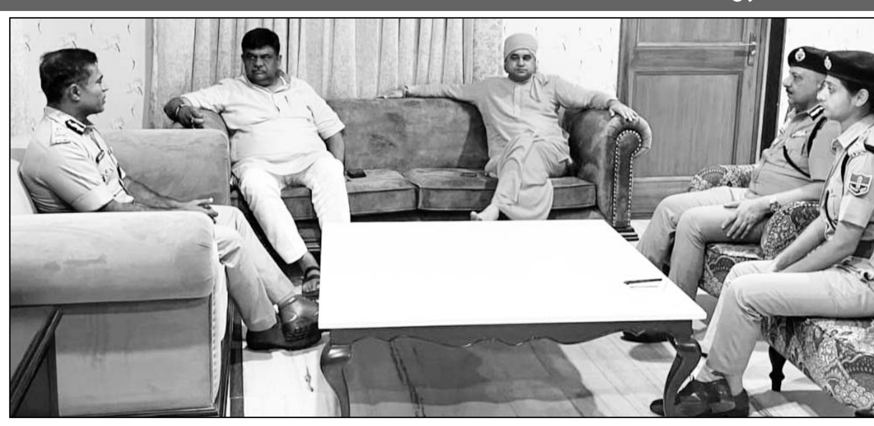

विधायक बाबा बालकनाथ, मंत्री संजय शर्मा ने पुलिस अधिकारियों ने जानकारी ली।

- **घटना में शोरूम मालिक जयसिंह की मौत हो गई, वहीं, उनके भाई और गार्ड के भी गोली लगी थी**
- **आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने हाईवे पर जाम लगाया**

इस दौरान व्यापारी मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ पर भड़के। व्यापारियों का कहना था कि बालकनाथ ने अपराध को खत्म करने के नाम पर चुनाव जीता और भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद भिवाड़ी में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया।

गौरतलब है कि शुक्रवार शाम को समतल चौक में कमलेश ज्वैलर्स शोरूम पर पांच बदमाशों ने लूट के बाद फायरिंग की थी। घटना में शोरूम मालिक जयसिंह की मौत हो गई। वहीं, उनके भाई और गार्ड के भी गोली लगी थी। आरोपी करीब चार-पांच मिनट में पूरी वारदात कर हरियाणा की ओर भाग गए। घायल जयसिंह को आसपास के दुकानदारों ने कार से हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भिवाड़ी में हुई डकैती एवं हत्या की घटना बेहद गंभीर एवं राज्य सरकार के माथे पर कलंक के समान है। इस घटना को लेकर एडीजी क्राइम एवं आईजी रेंज से बात कर जानकारी ली। यहां डकैतों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी एवं दूसरे व्यापारी घायल हैं। घटना लगातार बिगड़ती जा रही कानून-व्यवस्था की पोल खोल रही है।

इस घटना को लेकर जहां व्यापारियों और आमजन में खासा रोष बना हुआ है। वहीं, सत्तारूढ़ और विपक्ष के नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वन मंत्री संजय शर्मा हरियाणा में मृतक ज्वेलर्स के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तार किए जाने का भरोसा दिलाया। वहीं, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भी मृतक परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही व्यापारियों से मुलाकात करते हुए बिगड़ती कानून व्यवस्था पर रोष जताया। उनका कहना था कि जल्द ही प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो राजस्थान स्तर पर बिगडी कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई जाएगी।

डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी प्राप्त करने वाली प्रधानाध्यापिका गिरफ्तार

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल की

बांसवाड़ा, (निसं)। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी प्राप्त करने वाली महिला प्रधानाध्यापिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

- **मामले में अन्य सहयोगी आरोपी व डमी अभ्यर्थियों की तलाश कर रही है पुलिस**

वृत्ताधिकारी बागीदौरा विनय चौधरी ने 23 अगस्त को कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि उन्हें एक गोपनीय परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें संतोष पुत्र कानहेंग सुरावत निवासी रुपाखेड़ा हाल प्रधानाध्यापक राप्रावि हाथिया दिल्ली पीओ बगायचा पुलिस थाना कुशलगढ़ व सुमित्रा कुमारी अड पुत्री कलसेंग अड निवासी लोहारिया बड़ा ने वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकेण्ड 2018 की परीक्षा में अपने स्थान पर किसी अन्य डमी अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी प्राप्त कर ली। इस रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मामले का अनुसंधान थानाधिकारी सवाई सिंह को दिया गया।

गंभीरता को देखते हुए महानिरीक्षक एस. परिमला ने विशेष निर्देश दिये जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में एएसपी राजेश भारद्वाज एवं वृत्ताधिकारी शिवन्या सिंह के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गयी। इस टीम ने सुमित्रा कुमारी अड को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य सहयोगी आरोपी व डमी अभ्यर्थियों की तलाश जारी है। पुलिस टीम में थानाधिकारी सवाई सिंह, उपनिरीक्षक रमेशचंद्र सेन, कांस्टेबल दिनेशचंद्र, सतीश, महिला कांस्टेबल सोनु शामिल रही।

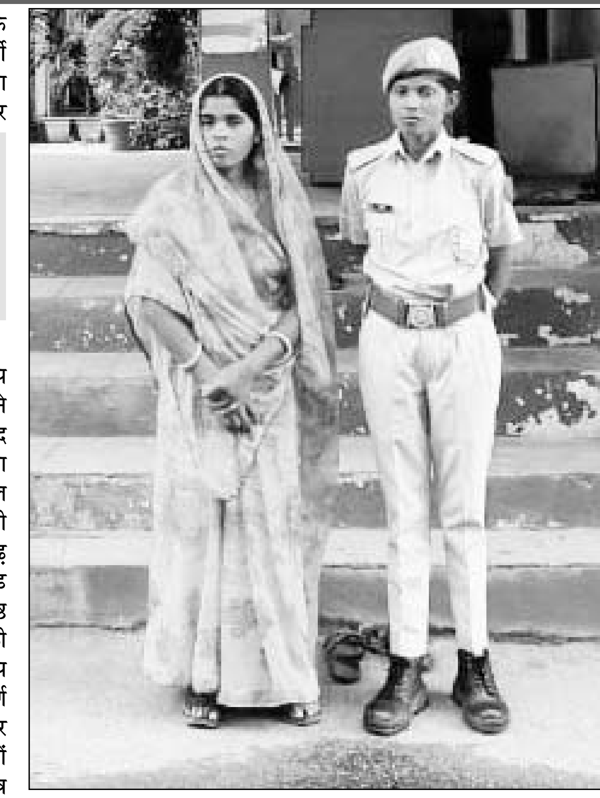

पुलिस ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी प्राप्त करने वाली महिला प्रधानाध्यापिका को गिरफ्तार किया।

विदेश भेजने के नाम पर 14 लाख की ठगी

श्रीगंगानगर, (निसं)। कुंज विहार के एक व्यक्ति ने तीन लोगों के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। मामला करीब ढाई साल पुराना है। इस मामले में आरोपी के पीड़ित को विदेश भेजने से इनकार करने और रुपए भी नहीं लौटाने पर पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

- **मामला करीब ढाई साल पुराना है, पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया**

इस संबंध में पुरानी आबादी थाने में दर्ज मामले में कुंजविहार के कृष्णलाल पुत्र काशीराम ने बताया कि वर्ष 2022 की जनवरी में वह एक यात्रा पर गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पंजाब के सुखराम, सुखदीपसिंह और सचिन कुमार से हुई। आरोपियों ने बातचीत के दौरान बताया कि वे पंजाब के अमृतसर में रामनगर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने बताया कि वे स्टडी के लिए विदेश भेजने के काम से जुड़े हैं। इस पर कृष्णलाल ने कहा कि वह भी इटली जाना चाहता है। सुखराम, सुखदीपसिंह और सचिन ने उसे बातों में उलझा लिया। इन लोगों ने उससे विदेश जाने के लिए वीजा लगाने की एवज में 14 लाख रुपए की मांग की। कृष्णलाल उनकी बातों में आ गया और आरोपियों को रुपए दे दिए। घटना के कई दिन बाद भी जब आरोपियों ने न तो उसे रुपए लौटाए और न ही उसे विदेश भिजवाया तो उसे संदेह होने लगा। उसने इस संबंध में कई बार आरोपियों से बातचीत की लेकिन वे टालते रहे। अंततः ढाई साल बीत जाने पर भी जब आरोपियों ने रुपए नहीं लौटाए तो उसने पुरानी आबादी थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच इंस्पेक्टर गोविंद सिंह को दी गई है।

प्राचार्य एवं इनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

अलवर। डीयू एवं जेएनयू जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद गत 29 वर्षों से कॉलेज शिक्षा में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बुध विहार अलवर निवासी प्रो.रमेश बैरवा की शिकायत पर आखिरकार शिवाजी पार्क पुलिस ने अलवर कला कॉलेज प्राचार्य अशोक आर्य एवं इनकी पत्नी वसुंधरा दहिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एससी एसटी प्रकोष्ठ के पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार को सौंपी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्य आरोपी वसुंधरा दहिया ने अपने ड्यूटी टाइम में अपने पति अलवर कला कॉलेज प्राचार्य अशोक आर्य के इशारे पर मिलीभगत कर प्रो.रमेश बैरवा एवं इनकी जानकार कला कॉलेज की पूर्व छात्रा के खिलाफ इनकी फेसबुक आईडी जिसे हजारों हज़ारों लोग देखते हैं पर घोर अश्लील, घोर आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं।

सूने मकानों से चोरी करने वाला बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। मालवीय नगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के पास से 5 लाख रुपए के जेवरात और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी जयपुर सिटी में सूने मकानों को चिह्नित कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता है। पकड़े जाने के डर से आरोपी कई सालों से अकेला चोरी की वारदात करता था। अपने साथ किसी को नहीं लेता था।

मालवीय नगर थाना पुलिस इलाके में हुई चोरी की घटना की जांच करते हुए आरोपी तक पहुंची। गिरफ्तार कर चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। मालवीय नगर सीआई कमल नयन ने बताया कि इलाके में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इलाके में पुलिस टीम को एक्टिव रह कर काम करने के निर्देश दिए गए थे। 17 अगस्त को अलका जुनेजा ने पुलिस थाना मालवीय नगर पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई।

पीड़ित अलका ने बताया कि वह मकान नं. 3/21 मालवीय नगर जयपुर में रहती है। दिन में घर से मार्केट गई थी। वापस लौटी तो मेरे घर में चोरी हो गई थी। अलमारी से सोने के करीब 5 लाख रुपए के जेवरात और करीब 40 हजार रुपए चोरी हो गए। रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालवीय नगर में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात पुलिस थाना मालवीय नगर पर विशेष टीम का गठन किया गया। घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरे देखे गए। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। जांच करने के दौरान शातिर चोर रोनक बैरवा को डिटेन कर पूंछताछ की गई। इस पर आरोपी ने वारदात करना कबूल किया। इस पर उसे आज गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया गया।

चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म

पीड़ित पिता ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया

अजमेर, (कासं)। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित पिता ने आरोपी पर दुष्कर्म करने और जानसे मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आदर्श नगर थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित पिता थाने में लिखित शिकायत देते हुए एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी खेत पर काम करने गई थी। इस बीच गांव का एक युवक वहां पहुंचा और उसे जान से मारने की धमकी दी और चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक ने बेटी को धमकी दी कि उसके परिवार को मार देगा। धमकी के कारण उसने घर पर किसी को बात नहीं बताई, जब दूसरे दिन बेटी की तबीयत खराब हुई तो बेटी ने अपनी बुआ को इसकी जानकारी दी। पीड़ित पिता की शिकायत पर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आमेर के तालाब में गिरने से बच्ची की मौत

जोधपुर, (कासं)। जयपुर के आमेर स्थित तालाब में गिरकर छह साल की बच्ची की मौत हो गई। वह अपने माता-पिता के साथ जोधपुर से जयपुर घूमने गई थी। मूलरूप से यह परिवार ओडिशा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि ने बताया कि बच्ची का नाम मिष्ठी था। उसके पिता अनंत मंडल एयरफोर्स में लांस नायक हैं। फिलहाल उनकी पोस्टिंग जोधपुर में है। अनंत मंडल शुक्रवार को पत्नी और बेटी के साथ जयपुर घूमने आए थे। सुबह से ही आमेर में घूम रहे थे। दोपहर में मावठा के पास घूम रहे थे। इसी दौरान अनंत अपनी पत्नी से बात करने लगे थे। मिष्ठी हाथ छुड़ाकर तालाब के पास चली गई थी। उसके बाद से वह लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं दिखाई दी। काफी देर तक कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। आखिर पिता अनंत ने शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे आमेर थाने में रिपोर्ट देकर बेटी के लापता होने की सूचना दी थी।

आयुर्वेदिक महिला चिकित्सा प्रभारी के कक्ष में घुसे शराबी ने उत्पात मचाया

सम्पूर्ण घटनाक्रम का महिला स्टाफ ने वीडियो बनाकर थानाधिकारी को सौंपा

मालपुरा, (निसं)। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पुरानी तहसील मालपुरा में शनिवार को एक शराबी युवक नशे में धुत्त होकर महिला चिकित्सा प्रभारी के कक्ष में घुस गया और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुये जमकर उत्पात मचाया। महिला चिकित्सक ने दी रिपोर्ट में उसे जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुये डॉ. ललीता वर्मा ने मालपुरा थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है।

थानाधिकारी चेनाराम बेड़ा ने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय अधिकारी प्रभारी डॉ. ललीता वर्मा की और से दी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को दोपहर में वो प्रभारी कक्ष में बैठकर राजकार्य कर रही थी। अन्य स्टाफकर्मी भी कार्य में व्यस्त थे। इसी दौरान शराब के नशे में धुत्त होकर चिकित्सालय में घुसे छीतरमल गाली-गलौच करते हुये पहले स्टाफकर्मियों व बाद में उनके साथ गाली-गलौच कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुये जमकर उत्पात मचाया। बिना स्वीकृति के अस्पताल परिसर में घुस गाली-गलौच करता रहा।

- **महिला चिकित्सक ने जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुये मामला दर्ज करवाया**

प्रभारी व महिला चिकित्सक के कक्ष में घुसे शराबी को बार-बार पुरूष स्टाफकर्मी द्वारा बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन बार-बार वो परिसर में घुस गाली-गलौच करता रहा। सम्पूर्ण घटनाक्रम का महिला स्टाफ ने वीडियो बनाकर थानाधिकारी चेनाराम बेडा को सौंपा। महिला डॉक्टर ने बताया कि इससे पूर्व भी चिकित्सालय में कार्यरत रेखा सिंह पंवार के साथ भी ऐसी घटना घटित हुई थी, जिसकी भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। बार-बार ऐसी घटना होने से स्टाफ स्वंय की सुरक्षा को लेकर भयभीत है। महिला डॉक्टर की और से दी सूचना पर आरोपी शराबी के विरूद्ध नामजद मामला दर्ज कर अनुसंधान आरपीएस महेन्द्र मीणा को सौंपा गया।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हुये हंगामे व घटनाक्रम को लेकर अस्पताल प्रभारी महिला डॉक्टर ने बताया कि हाल ही में बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर देशभर में महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर-शोर से उठ रहा है। इसी दौरान आज ड्यूटी के दौरान पुरूष शराबी द्वारा महिला डॉक्टर के कक्ष में घुसकर उत्पात मचाने व धमकियां देने जैसी हुई घटना से वो स्वंय व महिला स्टाफ भयभीत है।

स. सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा आज

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2024 का रविवार को अजमेर व जयपुर जिला मुख्यालय पर 51 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में 13 हजार 290 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए हैं। आरपीएससी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा रविवार को अजमेर और जयपुर के कुल 51 परीक्षा केंद्रों पर को सुबह 11 से 1:30 बजे बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा में कुल 13290 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए हैं। जयपुर में 32 सेंटरों पर 8848 तथा अजमेर में 19 सेंटरों पर 4442 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए हैं। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर जारी कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा के शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर उपस्थित होना होगा।

राजेंद्र राठौड़ के कथित अपमान के मामले में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सौंपा ज्ञापन, प्रदेश प्रभारी को हटाने की मांग की

झुंझुनूं, (निसं)। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल का राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से विरोध किया गया। झुंझुनूं में भाजपा के जिला कार्यालय में जब भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहनदास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक ले रहे थे, तभी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहरसिंह घोड़ीवारा के नेतृत्व में राजपूत समाज के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जिन्हें एएसपी पुष्पेंद्र सिंह तथा शहर कोतवाल पवन चौबे ने रोका और समझाइश की। नारेबाजी सुनकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक छोड़कर बीच में ही बाहर आ गए और प्रदर्शनकारियों से मिले।

करणी सैना के पदाधिकारियों ने राजेंद्र राठौड़ के कथित अपमान के मामले में प्रदर्शन किया।

- **'राजेंद्र राठौड़ का ना तो भाजपा ने कभी अपमान किया है, ना ही भाजपा कार्यकर्ता कभी उनका अपमान सह सकता है'**

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें राजेंद्र राठौड़ को लेकर 20 अगस्त को जयपुर में भाजपा प्रदेश प्रभारी द्वारा की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए राधामोहनदास अग्रवाल को प्रदेश प्रभारी के पद से हटाने की मांग की गई। वहीं उप चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने की बात कही गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मामले को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों से कहा कि राजेंद्र राठौड़ उनके बड़े भाई और पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ-साथ भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। उनका ना तो भाजपा ने कभी अपमान नहीं किया है, ना ही भाजपा कार्यकर्ता भी कभी उनका अपमान सह सकता है, बल्कि गलफत के कारण यह विवाद हुआ है। जबकि इसके बाद राधामोहनदास अग्रवाल और राठौड़ के बीच कई बार बात हो चुकी है। खुद राठौड़ ने भी ट्वीट करके कहा है कि भाजपा है तो हम हैं। ऐसे में अब कोई विवाद नहीं है।

इस मौके पर मदन राठौड़ ने बातों ही बातों में यह भी कहा कि आप हमारे नेता को इतना सम्मान देते हो, इसके लिए धन्यवाद, यह मामला हमारे अंदर का है, जिसे हम सुलटा लेंगे, आपको चिंता नहीं होने देंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी वापिस लौट गए। इस मौके पर गोविंद सिंह सुलताना, शिवराज आदि मौजूद थे।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान

आबकारी भवन 2- गुानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक-F.32 (B) (1)(AP)EX/L/2024-25-03000 part(6)/1122 दिनांक: 20.08.2024

पडत मदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2024-2025 के अनुसार पडत रही कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया से बन्दोबस्त करने हेतु निम्नानुसार ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती है

1	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 22.08.2024 प्रातः 11.30 बजे से
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 28.08.2024 सायं 5.00 बजे तक
3	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 28.08.2024 को सायं 5.30 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय।

ई-निविदा में भाग लेने की शर्तें-

1. यह निविदा वेबसाईट https://www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदाएं बेबसाईट: https://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जानी है। ई-निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में लॉगिन/साइन करने हेतु काम में आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है. उन्हें नया सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।
2. देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की कम्पोजिट दुकानों का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, अनुमानित गारण्टी राशि, अमानत राशि, धरोहर राशि, पंजीकरण शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
3. ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मदिरा दुकान का फार्म डाउनलोड करके फार्म के साथ प्रकिया शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि के चालान राजकोष में ऑनलाईन / ऑफलाईन जमा करवाकर चालानों की प्रति अपलोड करनी होगी। इन राशियों के जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निम्नलिखित राशियां उनके सामने उल्लेखित राजकोष मद में जमा करवानी होगी

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये में)	राजकोष लेखा मद
1	RISL की प्रकिया/ पंजीकरण शुल्क	रू. 2000/-	8658-00-102-(16)-01 (सिविल विभाग)
2	आवेदन शुल्क	निविदा के संबंध में जारी दिशा-निदेश एवं शर्तों की शर्त संख्या 6.11 के अनुसार रू. 10,000/- से लेकर रू. 20,000 तक (अनुमानित गारण्टी राशि के अनुसार)	0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क)
3	अमानत राशि	अनुमानित गारण्टी राशि की 2 प्रतिशत	8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा)

ई-प्रोक पोर्टल से प्रक्रिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का एक चालान जनरेट करने पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा प्रपत्र शुल्क) में राशि रू. एक रूपया जमा करवाकर आवेदन शुल्क का चालान पृथक से राजकोष में मद 0039-00-501-01-00 में जमा करवाया जा सकता है।

4. अनुमानित गारण्टी राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होगें।
5. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-निविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
6. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
7. मदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश, आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तथा प्रारूप अनुज्ञापत्र इत्यादि https://excise.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिनका ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व भली भाँति अध्ययन कर लेना चाहिए। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. ई-निविदा के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।
9. ई-निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला ही रहेगा।

UBN EXC2425GLOB00136

DIPR/C/_____/2024 (अंश दीप) आबकारी आयुक्त, राजस्थान